[2021] 2 उम. नि. प. 364

# सोनू उर्फ सुभाष कुमार

बनाम

# उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 233]

1 मार्च, 2021

न्यायमूर्ति डा. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

**भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482] – बलात्संग – अभियुक्त-अपीलार्थी और द्वितीय प्रत्यर्थी के बीच मैत्री संबंध हो जाना – अभियुक्त द्वारा द्वितीय प्रत्यर्थी को विवाह करने का वचन दिया जाना – दोनों पक्षकारों द्वारा लगभग डेढ़ वर्ष तक पति-पत्नी के रूप में रहना – अभियुक्त द्वारा बाद में उससे विवाह करने से इनकार कर देना – अभियुक्त के विरुद्ध बलात्संग के अपराध के लिए आरोप पत्र फाइल किया जाना – अभियुक्त द्वारा आरोप पत्र को अभिखंडित करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन फाइल किया जाना – आवेदन खारिज हो जाना – जहां मामले के तथ्यों से यह प्रतीत होता हो कि अभियुक्त और प्रत्यर्थी-स्त्री के बीच मित्रता के दौरान शारीरिक संबंध सहमतिजन्य प्रकृति के थे और आरंभ से ही अभियुक्त द्वारा उससे विवाह करने का दिया गया वचन मिथ्या नहीं था और उसके साथ लैंगिक संबंध बनाने के लिए उसे प्रवंचित करने का आशय नहीं था, वहां बाद में अभियुक्त द्वारा विवाह करने से इनकार करने पर बलात्संग का अपराध नहीं बनता है और उच्च न्यायालय द्वारा आरोप पत्र को अभिखंडित करने से इनकार करना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है ।**

इस अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा तारीख 7 फरवरी, 2018 को एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में, जो थाना भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, मथुरा को दी गई द्वितीय प्रत्यर्थी की लिखित शिकायत के आधार पर रजिस्ट्रीकृत की गई थी, यह उल्लेख किया गया कि द्वितीय प्रत्यर्थी की अपीलार्थी के साथ मित्रता हो गई थी और उसने

यह आश्वासन दिया था कि वह उससे विवाह करेगा । उसका डेढ़ वर्ष तक शारीरिक शोषण किया गया । लगभग डेढ़ वर्ष बीत जाने के पश्चात् अपीलार्थी अपने गृह नगर, जो कि झांसी है, वापस चला गया और द्वितीय प्रत्यर्थी को एक फोन काल की कि चूंकि वह "न्यायालय विवाह" (कोर्ट मैरिज) करना चाहता है, इसलिए द्वितीय प्रत्यर्थी झांसी आ जाए । द्वितीय प्रत्यर्थी झांसी गई, किंतु अपीलार्थी के निवास पर पहुंचने पर अपीलार्थी के पिता द्वारा उसे यह सूचित किया गया कि अपीलार्थी उससे विवाह नहीं करना चाहता है । अपीलार्थी के पिता ने यह भी कहा कि अपीलार्थी उससे मिलने का इच्छुक नहीं है और फिर उससे यह कहा कि कुछ धन-राशि लेकर यहां से चली जाए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित किया गया कि अपीलार्थी की बहिन द्वारा द्वितीय प्रत्यर्थी पर हमला किया गया और अपीलार्थी के मकान से खदेड़ दिया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन द्वितीय प्रत्यर्थी का कथन अभिलिखित किया गया । अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । अपीलार्थी ने आरोप पत्र को अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन उच्च न्यायालय में आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय ने इस आवेदन को इस निदेश के साथ खारिज कर दिया कि इस अपील में अपीलार्थी समुचित प्रक्रम पर उन्मोचन की ईप्सा करते हुए विचारण न्यायालय में समावेदन कर सकता है । अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित है कि द्वितीय प्रत्यर्थी की अपीलार्थी के साथ मित्रता हो गई थी और उसने यह आश्वासन दिया था कि वह उससे विवाह करेगा । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित है कि अपीलार्थी और द्वितीय प्रत्यर्थी के शारीरिक संबंध बन गए थे जो डेढ़ वर्ष की अवधि तक रहे और इस दौरान द्वितीय प्रत्यर्थी की अपीलार्थी के माता-पिता और बहन से जान-पहचान हो गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थी के माता-पिता इन दोनों का विवाह कराने के लिए सहमत थे । वस्तुतः, अपीलार्थी तारीख 5 जनवरी, 2018 को अपने गृह नगर झांसी वापस गया था और उसने उससे यह

कहते हुए एक फोन काल की थी कि वह उसके पास आ जाए जिससे कि वे विवाह कर सकें । अपीलार्थी की प्रेरणा पर झांसी जाने के पश्चात् अपीलार्थी के पिता द्वारा द्वितीय प्रत्यर्थी को यह सूचित किया गया कि अपीलार्थी उससे विवाह करने का इच्छुक नहीं है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए कथन की अंतर्वस्तुओं से भी यह उपदर्शित होता है कि द्वितीय प्रत्यर्थी ने "अपीलार्थी के साथ पति-पत्नी के संबंध स्वेच्छा से बनाए थे" । द्वितीय प्रत्यर्थी ने फिर यह कहा कि "अब वह और उसके परिवार के सदस्य मुझ से विवाह करने के लिए इनकार कर रहे हैं" । द्वितीय प्रत्यर्थी ने यह भी कथन किया कि "मेरी एकमात्र शिकायत यह है कि सोनू मुझ से विवाह करने के लिए इनकार कर रहा है" । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए कथन से किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है कि अभिकथनों के आधार पर, जैसे वे हैं, तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रकट होती हैं – (i) अपीलार्थी और द्वितीय प्रत्यर्थी के बीच संबंध सहमतिजन्य प्रकृति का था ; (ii) पक्षकार लगभग डेढ़ वर्ष की अवधि से संबंध में थे ; और (iii) बाद में अपीलार्थी ने द्वितीय प्रत्यर्थी के साथ विवाह करने की अनिच्छा व्यक्त की थी जिसके कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इस न्यायालय का यह मत है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए सभी अभिकथन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इन्हें अभिखंडित करने के लिए किए गए आवेदन पर विचार करने के प्रयोजनों के लिए सही हैं, तो भी कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है । इस आशय का कोई अभिकथन नहीं है कि द्वितीय प्रत्यर्थी को विवाह करने का दिया गया वचन प्रारंभ में ही मिथ्या था । इसके प्रतिकूल, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा द्वितीय प्रत्यर्थी के साथ विवाह करने से इनकार बाद में किया गया था जिसके कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इन तथ्यों के आधार पर इस न्यायालय का यह मत है कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन को इस आधार पर ग्रहण करने से इनकार करके गलती की थी कि विचारण के समय पर साक्ष्य से ही यह अवधारित होगा कि अपराध सिद्ध होता है या नहीं । (पैरा 7, 8 और 11)

## निर्दिष्ट निर्णय

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2019] | (2019) 9 एस. सी. सी. 608 : **प्रमोद सूर्यभान पवार** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** । | 4, 6, 9 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 233.**

2019 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 35811 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 26 सितंबर, 2019 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** सर्वश्री अमित पवन और आनंद नंदन

**प्रत्यर्थियों की ओर से** सर्वश्री विष्णु शंकर जैन, चाणक्य गुप्ता, सिमंत कुमार, रवि प्रकाश, (सुश्री) जयश्री राज सोनी, संदीप मलिक, वजिशा नंदिनी और विक्रम सिंह आर्य

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डा. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने दिया ।

**न्या. चंद्रचूड़** – इजाजत दी गई ।

2. यह अपील, विशेष इजाजत याचिका के द्वारा, 2019 के दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 35811 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के तारीख 26 सितंबर, 2019 के निर्णय से उद्भूत हुई है । उपरोक्त आवेदन पुलिस थाना कोतवाली, जिला मथुरा में भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "भारतीय दंड संहिता") की धारा 376 के अधीन 2008 के अपराध मामला सं. 121 से उद्भूत मामला सं. 1066/ix/19 में तारीख 25 अप्रैल, 2018 के आरोप पत्र को अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "दंड प्रक्रिया संहिता") की धारा 482 के अधीन संस्थित किया गया था । उच्च न्यायालय ने इस आवेदन को इस निदेश के साथ खारिज कर दिया कि इस अपील में अपीलार्थी समुचित प्रक्रम पर उन्मोचन की ईप्सा करते हुए विचारण न्यायालय में समावेदन कर सकता है । तथापि, उच्च न्यायालय ने यह निदेश दिया कि यदि अपीलार्थी सक्षम न्यायालय के समक्ष जमानत के लिए आवेदन देता है, तो आवेदन का निपटारा विधि के अनुसार किया

जाए । इसी बीच, अपीलार्थी को 30 दिनों की अवधि के लिए प्रपीड़क कार्रवाई के विरुद्ध संरक्षा दी गई और पूर्वोक्त अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निदेश दिया गया ।

3. अपीलार्थी की शिकायत पर विचार करने के लिए, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं का उल्लेख करना आवश्यक होगा । द्वितीय प्रत्यर्थी द्वारा तारीख 7 फरवरी, 2018 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में, जो थाना भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, मथुरा को दी गई द्वितीय प्रत्यर्थी की लिखित शिकायत के आधार पर रजिस्ट्रीकृत की गई है, यह उल्लेख किया गया है कि द्वितीय प्रत्यर्थी की अपीलार्थी के साथ मित्रता हो गई थी और उसने यह आश्वासन दिया था कि वह उससे विवाह करेगा । इसके पश्चात् यह उल्लेख किया गया है कि उसका डेढ़ वर्ष तक शारीरिक शोषण किया गया और द्वितीय प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के माता-पिता और बहिन से भी बात की थी । यह उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के पिता ने द्वितीय प्रत्यर्थी को यह सूचित किया था कि वह अपीलार्थी के साथ उसके विवाह की व्यवस्था करेगा । लगभग डेढ़ वर्ष बीत जाने के पश्चात् अपीलार्थी कथित रूप से तारीख 5 जनवरी, 2018 को अपने गृह नगर, जो कि झांसी है, वापस चला गया और द्वितीय प्रत्यर्थी को एक फोन काल की कि चूंकि वह "न्यायालय विवाह" (कोर्ट मैरिज) करना चाहता है, इसलिए द्वितीय प्रत्यर्थी झांसी आ जाए । इसी कारण से अपीलार्थी मथुरा नहीं गया, जहां द्वितीय प्रत्यर्थी रहती थी । द्वितीय प्रत्यर्थी का यह अभिकथन है कि वह झांसी गई, किंतु अपीलार्थी के निवास पर पहुंचने पर अपीलार्थी के पिता द्वारा उसे यह सूचित किया गया कि अपीलार्थी उससे विवाह नहीं करना चाहता है । अपीलार्थी के पिता ने यह भी कहा कि अपीलार्थी उससे मिलने का इच्छुक नहीं है और फिर उससे यह कहा कि कुछ धन-राशि लेकर यहां से चली जाए । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में आगे यह अभिलिखित है कि अपीलार्थी की बहिन द्वारा द्वितीय प्रत्यर्थी पर हमला किया गया और अपीलार्थी के मकान से खदेड़ दिया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन द्वितीय प्रत्यर्थी का कथन अभिलिखित किया गया था । संपूर्ण कथन को नीचे उद्धृत किया जाता है :–

"दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन कथन

पीड़िता का नाम : गीता पुत्री रामबाबू, आयु 25 वर्ष शपथ पर यह कथन किया है कि –

पिछले डेढ़ वर्ष से सोनू पुत्र कमलेश आयु 27 वर्ष के साथ मेरे प्रेम संबंध थे । वह मुझ से विवाह करने के लिए कहता रहता था । मैं उसकी बातों के झांसे में आ गई । मैंने स्वेच्छा से उसके साथ पति-पत्नी के संबंध बना लिए । अब, वह और उसके परिवार के सदस्य मुझ से विवाह करने के लिए इनकार कर रहे हैं । तारीख 5 जनवरी, 2018 को सोनू झांसी चला गया और वहां से भी फोन पर मुझ से बात करता रहा । उसने मुझे झांसी बुलाया और फिर तारीख 21 जनवरी, 2018 को मेरे घर में किसी को बताए बिना मैं सोनू द्वारा दिए गए पते पर झांसी गई । उसका पिता मुझ से मिला और मुझे बताया कि वे सोनू के साथ मेरा विवाह अनुष्ठापित करना नहीं चाहते हैं और कुछ धन-राशि लेकर यहां से भाग जाने की सलाह दी । सोनू की माता शोभा और बहिन ने मुझ पर हमला किया था । तारीख 21 जनवरी, 2018 को मैं झांसी स्टेशन पर रुकी और फिर रात्रि में बारह बजे की रेलगाड़ी से मथुरा वापस आ गई । मेरी एकमात्र शिकायत यह है कि सोनू मुझ से विवाह करने के लिए इनकार कर रहा है । मैं छठी कक्षा तक पढ़ी हूं । मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि पीड़िता द्वारा उपरोक्त कथन अपनी स्वयं की इच्छा से किसी बल या दबाव के बिना किया गया है ।

अभिलिखित किया गया

हस्ता/-

6.3.18

सुना और सत्यापित किया

हस्ता/-

पीड़िता"

4. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल, श्री अमित पवन ने **प्रमोद सूर्यभान पवार** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अपीलार्थी और द्वितीय प्रत्यर्थी के बीच संबंध सहमतिजन्य प्रकृति का था । यह आग्रह किया गया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए कथन के पढ़ने मात्र से यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थी का उस समय, जब उसने संबंध बनाया था, कतई ऐसा आशय नहीं था कि वह द्वितीय प्रत्यर्थी से विवाह नहीं करेगा और न ही यह सुझाव तक दिया जा सकता है कि विवाह करने का वचन मिथ्या था । अत: यह दलील दी गई कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अर्थांतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है ।

5. दूसरी ओर, द्वितीय प्रत्यर्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल, श्री सिमंत कुमार ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि द्वितीय प्रत्यर्थी की शिकायत से, जिसके आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी, यह उपदर्शित होता है कि द्वितीय प्रत्यर्थी की अपीलार्थी के साथ मित्रता हो गई थी और उसने यह आश्वासन दिया था कि वह उसके साथ विवाह करेगा ।

6. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल, श्री विष्णु शंकर जैन ने समान रूप से **प्रमोद सूर्यभान पवार** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय के पैरा 16 में अंतर्विष्ट मताभिव्यक्तियों का अवलंब लेते हुए उच्च न्यायालय के विनिश्चय का समर्थन किया ।

7. हमने परस्पर विरोधी दलीलों के आधार पर और काउंसेल की सहायता से प्रथम इत्तिला रिपोर्ट का परिशीलन किया । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित है कि द्वितीय प्रत्यर्थी की अपीलार्थी के साथ मित्रता हो गई थी और उसने यह आश्वासन दिया था

---

[1] (2019) 9 एस. सी. सी. 608.

कि वह उससे विवाह करेगा । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह भी अभिलिखित है कि अपीलार्थी और द्वितीय प्रत्यर्थी के शारीरिक संबंध बन गए थे जो डेढ़ वर्ष की अवधि तक रहे और इस दौरान द्वितीय प्रत्यर्थी की अपीलार्थी के माता-पिता और बहन से जान-पहचान हो गई थी । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह अभिकथन किया गया है कि अपीलार्थी के माता-पिता इन दोनों का विवाह कराने के लिए सहमत थे । वस्तुतः, अपीलार्थी तारीख 5 जनवरी, 2018 को अपने गृह नगर झांसी वापस गया था और उसने उससे यह कहते हुए एक फोन काल की थी कि वह उसके पास आ जाए जिससे कि वे विवाह कर सकें । अपीलार्थी की प्रेरणा पर झांसी जाने के पश्चात् अपीलार्थी के पिता द्वारा द्वितीय प्रत्यर्थी को यह सूचित किया गया कि अपीलार्थी उससे विवाह करने का इच्छुक नहीं है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए कथन की अंतर्वस्तुओं से भी यह उपदर्शित होता है कि द्वितीय प्रत्यर्थी ने "अपीलार्थी के साथ पति-पत्नी के संबंध स्वेच्छा से बनाए थे" । द्वितीय प्रत्यर्थी ने फिर यह कहा कि "अब वह और उसके परिवार के सदस्य मुझ से विवाह करने के लिए इनकार कर रहे हैं" । द्वितीय प्रत्यर्थी ने यह भी कथन किया कि "मेरी एकमात्र शिकायत यह है कि सोनू मुझ से विवाह करने के लिए इनकार कर रहा है" ।

8. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन किए गए कथन से किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाता है कि अभिकथनों के आधार पर, जैसे वे हैं, तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं प्रकट होती हैं :–

(i) अपीलार्थी और द्वितीय प्रत्यर्थी के बीच संबंध सहमतिजन्य प्रकृति का था ;

(ii) पक्षकार लगभग डेढ़ वर्ष की अवधि से संबंध में थे ; और

(iii) बाद में अपीलार्थी ने द्वितीय प्रत्यर्थी के साथ विवाह करने की अनिच्छा व्यक्त की थी जिसके कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी ।

9. **प्रमोद सूर्यभान पवार** (उपर्युक्त) वाले मामले में इसी प्रकार की स्थिति पर विचार करते हुए विधि के उन सिद्धांतों को, जिनसे वर्तमान मामले जैसी स्थिति शासित होनी चाहिए, निम्नलिखित मताभिव्यक्तियां करते हुए वर्णित किया गया था :–

> "जहां विवाह करने का वचन मिथ्या हो और स्वयं वचन करने के समय पर वचन करने वाले का आशय इसका पालन करने का नहीं था अपितु स्त्री को उसके साथ लैंगिक संबंध बनाने के लिए प्रवंचित करना था, यह एक 'तथ्य का भ्रम' है जिससे स्त्री की 'सहमति' दूषित हो जाती है । दूसरी ओर, किसी वचन के भंग को एक मिथ्या वचन होना नहीं कहा जा सकता है । मिथ्या वचन को सिद्ध करने के लिए वचन करने वाले का आशय वचन करने के समय पर अपने शब्दों पर कायम रहने का नहीं होना चाहिए.....।"

10. न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया था :–

> "उस विधिक स्थिति का सारांश, जो उपरोक्त मामलों से प्रकट होती है, यह है कि धारा 375 के विषय में स्त्री की 'सहमति' के बारे में प्रस्तावित कृत्य के प्रति सक्रिय और सकारण चर्चा होनी चाहिए । यह सिद्ध करने के लिए कि क्या विवाह करने के लिए वचन से उद्भूत 'सहमति' 'तथ्य के भ्रम' द्वारा दूषित थी या नहीं, दो प्रतिपादनाएं अवश्य सिद्ध की जानी चाहिएं । विवाह करने का वचन अवश्य एक मिथ्या वचन होना चाहिए जो असद्भावपूर्वक दिया गया हो और वचन देने के समय पर इसका पालन करने का कोई आशय न हो । मिथ्या वचन की अवश्य अव्यवहित सुसंगतता होनी चाहिए या लैंगिक कृत्य में अंतवर्लित होने के लिए स्त्री के विनिश्चय से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए ।"

11. उन कसौटियों को ध्यान में रखते हुए जिनका उपरोक्त विनिश्चय में वर्णन किया गया है, हमारा यह मत है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए सभी अभिकथन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इन्हें अभिखंडित करने के लिए किए गए आवेदन पर विचार करने के प्रयोजनों के लिए सही हैं, तो

भी कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है । इस आशय का कोई अभिकथन नहीं है कि द्वितीय प्रत्यर्थी को विवाह करने का दिया गया वचन प्रारंभ में ही मिथ्या था । इसके प्रतिकूल, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की अंतर्वस्तुओं से यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा द्वितीय प्रत्यर्थी के साथ विवाह करने से इनकार बाद में किया गया था जिसके कारण प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इन तथ्यों के आधार पर हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन याचिका को इस आधार पर ग्रहण करने से इनकार करके गलती की थी कि विचारण के समय पर साक्ष्य से ही यह अवधारित होगा कि अपराध सिद्ध होता है या नहीं ।

12. उपरोक्त कारणों से, हम यह अपील मंजूर करते हैं और उच्च न्यायालय का तारीख 26 सितंबर, 2019 का आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त करते हैं । उन कारणों को देखते हुए जो पहले दिए गए हैं, तारीख 25 अप्रैल, 2018 का आरोप पत्र जो किए गए अन्वेषण के अनुसरण में फाइल किया गया था, अभिखंडित हो जाएगा । तद्नुसार, विचारण न्यायालय का तारीख 3 अक्टूबर, 2018 का संज्ञान लेने वाला आदेश अभिखंडित और अपास्त किया जाता है ।

13. उपरोक्त आदेश को देखते हुए, अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल, श्री अमित पवन ने यह उल्लेख किया कि प्रति-प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जो अपीलार्थी की प्रेरणा पर द्वितीय प्रत्यर्थी के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत की गई थी, की बाबत कोई आगामी कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई है, का निपटारा हो जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.